न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत
पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती जैतून बानो पत्नी स्व. श्री अकबर खान 2. श्री रमजान पुत्र स्व. श्री अकबर खान 3. श्री रज्जाक खान स्व. श्री अकबर खान 4. श्री बंशीर खान पुत्र स्व. श्री अकबर खान, जातियान मोयला मुसलमान, निवासियान ऋषिकेश रोड, मानपुर, तहसील आबूरोड		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड 2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल आबूरोड

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या18/2018

दिनांक11–11–2020

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा गांव मानपुर पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड में निम्न वर्णित खसरा नम्बरान पुराना 444 नया 654 रकबा 02 बीघा, 12 बीघा खेत 7–1/गै.मु.आ. एवं क्षेत्रफल की प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 से 04 के पिता अकबर खान पुत्र श्री हुसैन खान की पुश्तैनी कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि की स्थित थी, जिसे इस प्रार्थना पत्र में आगे विवादित कृषि भूमि से सम्बोधित किया गया है।

यह कि उक्त विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पति व पिता अकबर खान को कब्जे काश्त का अधिकार उसके पूर्वजो से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था एवं विवाहित कृषि भूमि पर अकबर खान के दादा, मोहम्मद तथा उसके बाद अकबर खान के पिता हुसैन पुत्र मोहम्मद एवं उनकी मृत्यु के पश्चात स्वंय अकबर खान सिरोही रियासत के समय से ही लगातार बिना किसी बाधा के कृषि कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है एवं उसके राजस्व रेकर्ड में भी लगातार स्व. अकबर खान एवं उसके पूर्वजो का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज रहा है तथा उनके द्वारा लगातार उपरोक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि का राजस्व लगान भी भरा जाता रहा है तथा प्रार्थीगण के पति व पिता अकबर खान की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में प्रार्थीगण बतौर विधिक वारीसान मौके पर सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि पर बतौर स्वामी शान्तिपूर्वक बिना बाधा व ऐतराज के काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है।

यह कि उक्त विवादित कृषि भूमि आरम्भ से सिरोही रियासत के समय से ही अकबर खान के दादा, मौहम्मद के नाम दर्ज थी एवं उनकी मृत्यु पश्चात महकमा बन्दोबस्त संवत् 1999 में अकबर खान के पिता हुसैन पुत्र मोहम्मद एक मात्र उत्तराधिकारी होने से विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हुसैन वल्द मोहम्मद का नाम बतौर खातेदार एवं स्वामी की हैसियत से दर्ज हुआ था। तत्पश्चात अकबर के पिता हुसैन की मृत्यु के पश्चात संशोधित भू–माप संवत् 2024 में प्रार्थीगण के पति व पिता अकबर खान का नाम उक्त विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। अकबर खान के पूर्वज अपने जीवनकाल में एवं उसके बाद से लगातार अनवरत रूप से उक्त विवादित कृषि भूमि पर खेती करते रहे थे तथा पूर्वजो से लेकर प्रार्थीगण के पति व पिता अकबर खान की मृत्यु तक तथा उनके बाद से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण स्व. अकबर खान के विधिक वारीसान होने से लगातार अनवरत बिना किसी बाधा एवं ऐतराज के उक्त विवादित कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त विवादित कृषि भूमि पर बिना किसी बाधा एवं ऐतराज के शान्तिपूर्वक पिछले करीब 100 वर्षो से भी अधिक समय से बतौर खातेदार काबिज है व वर्तमान में भी अपना स्वामित्व एवं आधिपत्य बनाये हुए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:58:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

यह कि माह जून, 2014 में श्री अकबर खान के जीवनकाल में अचानक बिना पूर्व सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये अप्रार्थी संख्या 02 के नुमाईन्दे प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त विवादित कृषि भूमि पर आये और कहने लगे कि उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान में नगरपालिका आबूरोड का नाम के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसलिये उक्त भूमि का कब्जा खाली करना पडेगा। यह जानकर अकबर खान को बडी हैरानी हुई तथा अकबर खान ने अपने स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 02 के नुमाईन्दों का दिखाये, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 के नुमाईन्दे नहीं माने और उन्होंने अकबर खान से कहा कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम दर्ज है अतः आप उक्त सम्पति को खाली कर उसका कब्जा हमें तुरन्त सुपुर्द करें, अन्यथा हम जबरदस्ती तुम्हें इस भूमि से बेदखल कर देंगे। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पांबद करने हेतु कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त प्रश्नगत आराजी से जबरन बेदखल नही करने एवं अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के नाम विवादित भूमि का पट्टा जारी नही करवाने हेतु कथन किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत। अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रेकर्ड मे वर्तमान मे खसरा नंबर 654 रकबा 138.02 बीघा गै0मु0 आबादी नगरपालिका आबूरोड के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या दो जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी मौजा मानपुर के खसरा नंबर 654 की भूमि नगर पालिका की मालकी की है जो राजस्व रिकॉर्ड मे नियमानुसार नगर पालिका के नाम दर्ज है। जिस प्रार्थीगण का कोई कब्जा न तो पूर्व मे था नही वर्तमान मे इस वादग्रस्त भूमि पर है। इस कारण प्रार्थीगण को प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। नही प्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा, आदेशात्मक व्यादेश एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि संवत् 1999 को वक्त सेटलसेण्ट के दौरान गलती से अकबर हुसैन का नाम प्रश्तनगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर ग्राम पंचायत आकराभट्टा का नाम दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो नगर पालका आबूरोड के अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस कथन किया कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे नगरपालिका आबूरोड के नाम दर्ज हैं। व प्रार्थीगण ने अवैद्य अतिकरण कर रखा है। यदि प्रार्थीगण के पूर्वजो का प्रश्नगत आराजी पर 100 वर्षो से अधिक समय का कब्जा है तो प्रार्थीगण के पूर्वज ग्राम पंचायत आकराभट्टा के विरूद्ध आवश्यक दाद हासिल करने के लिये सक्षम न्यायालय मे वाद दायर क्यो नही किया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण नगरपालिका की प्रश्नगत भूमि पर अतिकमण कर भूमि को येनकेन प्रकरेण अपने नाम करवाने चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी नगरपालिका आबूरोड के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। सुविधा का संतुलन एवं अपुर्तनीय क्षति होना, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत आराजी मौजा मानुपर के खसरा नंबर 654 रकबा दो बीघा बारह विस्वा नगरपालिका आबूरोड के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी मौजा मानुपर के खसरा नंबर 654 रकबा दो बीघा बारह विस[illegible] 1999 के पूर्व का कब्जा साबित करने मे असफल रहे है। तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11-11-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:58:00 IST
Reason: SelfAttested